67

संख्या /XVII-3/14-09(43)/2003

प्रेषक,

डॉ. रणबीर सिंह,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास,
उत्तराखण्ड देहरादून।

समाज (सैनिक) कल्याण अनुभाग–3, देहरादूनः दिनांकः 4 फरवरी, 2014

विषयः–उत्तराखण्ड राज्य के वीरता पुरस्कार से अलंकृत सैनिकों को देय वित्तीय अनुदान में वृद्धि किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–415/XVII(2)/2006–09(43)/2003 दिनांक 27 नवम्बर, 2007 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल महोदय उत्तराखण्ड राज्य के वीरता पुरस्कार प्राप्त अलंकृत सैनिकों एवं उनकी विधवाओं को दिये जाने वाले एकमुश्त अनुदान एवं वार्षिकी को तत्काल प्रभाव से निम्न प्रकार निर्धारित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

क0सं0	पदक	एकमुश्त अनुदान (पूर्व में)	वार्षिकी (पूर्व में)	एक मुश्त अनुदान (वर्तमान में)	वार्षिकी (वर्तमान में)
1	परमवीर चक्र	25.00 लाख	1.50 लाख	30.00 लाख	3.00 लाख
2	अशोक चक्र	25.00 लाख	1.20 लाख	30.00 लाख	2.50 लाख
3	महावीर चक्र	15.00 लाख	1.14 लाख	20.00 लाख	2.25 लाख
4	कीर्ति चक्र	15.00 लाख	1.00 लाख	20.00 लाख	2.00 लाख
5	वीर चक्र	10.00 लाख	66,000	15.00 लाख	1.50 लाख
6	शौर्य चक्र	10.00 लाख	50,000	15.00 लाख	1.00 लाख

2. पूर्व में जारी शासनादेश संख्या–415 /XVII-(2)/2006-09(43)/2013 दिनांक 27 नवम्बर, 2007 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।
3. शेष शर्ते एवं प्राविधान कार्यालय ज्ञाप–31/XVII-(2)/2007-09(43)/2013 दिनांक 23 जनवरी, 2008 एवं शासनादेश संख्या–405(ए)/XVII-(2)/2007-09(43)/2013 दिनांक 22 जुलाई, 2008 तथा 253//XVII-(2)/2007-09(43)/2013 दिनांक 10 जून, 2010 अनुसार ही लागू रहेंगे।
4. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या–97/ XXVII(1)/2014, दिनांक 23 जनवरी, 2014 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(डॉ0 रणबीर सिंह)
प्रमुख सचिव।

सैनिक लेटर्स 2013.14 म0

संख्या 100 /XVII-3/14-09(43)/2003 तद्दिनांक

प्रतिलिपिः-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड शासन।
2. निजी सचिव, मा0 मंत्री, सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास, उत्तराखण्ड शासन।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून।
5. मण्डलायुक्त गढ़वाल एवं कुमायूं उत्तराखण्ड।
6. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. वित्त (व्यय नियंत्रक) अनुभाग-3 उत्तराखण्ड शासन।
9. राष्टीय सूचना विभाग केन्द्र सचिवालय परिसर, देहरादून।
10. समस्त जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी, उत्तराखण्ड।
11. आदेश पंजिका।

आज्ञा से,

(जी0 एस0 भाकुनी)
अनु सचिव